



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230948  
CG-DL-E-03112021-230948

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4235]  
No. 4235]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

नागर विमानन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

**का.आ. 4596(अ).**—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (वर्ष 2008 का संख्या 27) के खंड 2 के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा शिरडी में विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एवी.20015/12/2021-एडी]  
रुबीना अली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION  
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2021

**S.O. 4596(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 2 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (No.27 of 2008), the Central Government hereby declares the airport at Shirdi as Major Airport.

[F. No. AV-20015/12/2021-AD]  
RUBINA ALI, Jt. Secy.